



प्रेस नोट—जनपद बिजनौर

दिनांक 26.03.2025

“ऑपरेशन कनविक्षन” अभियान के क्रम में थाना किरतपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित चरस रखने वाले हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को 10 वर्ष 02 माह के कारावास व 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही:—

अवगत कराना है कि दिनांक 25.07.2019 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त रियाज पुत्र बाबू निवासी भनेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को 01 किलो 200 ग्राम प्रतिबंधित चरस सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना किरतपुर पर मु०अ०सं० 266/19 धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 26.03.2025 को माननीय न्यायालय ए०डी०जे०-04 जनपद बिजनौर द्वारा अभियुक्त रियाज पुत्र बाबू निवासी भनेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को 10 वर्ष 02 माह कारावास व 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नोट— अभियुक्त रियाज पुत्र बाबू थाना किरतपुर का हिस्ट्रीशीटर(80ए) अभियुक्त है, जिसके विरुद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानों पर करीब 33 अभियोग पंजीकृत है।

उक्त अभियोग पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हिस्ट्रीशीटर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन कनविक्षन अभियान के अन्तर्गत मा० न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर चिन्हित किये गये अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:—

रियाज पुत्र बाबू निवासी भनेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रियाज उपरोक्त – (HS 80ए थाना किरतपुर)

- 1- मु०अ०सं० 20/15 धारा 379 भादवि थाना मंडावली जनपद बिजनौर।
- 2- मु०अ०सं० 67/15 धारा 379/411 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
- 3- मु०अ०सं० 116/15 धारा 398/401 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट किरतपुर जनपद बिजनौर।
- 4- मु०अ०सं० 136/15 धारा 25ए आर्म्स एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

- 5- मु0अ0सं0 209/15 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली शहर बिजनौर ।
- 6- मु0अ0सं0 210/15 धारा 380 भादवि थाना कोतवाली शहर बिजनौर ।
- 7- मु0अ0सं0 131/16 धारा 379 भादवि थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
- 8- मु0अ0सं0 135/16 धारा 379/411 भादवि थाना नांगल जनपद बिजनौर ।
- 9- मु0अ0सं0 142/16 धारा 379 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
- 10- मु0अ0सं0 192/16 धारा 380 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
- 11- मु0अ0सं0 199/16 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 12- मु0अ0सं0 240/17 धारा 392/411 भादवि थाना मंडावली जनपद बिजनौर ।
- 13- मु0अ0सं0 118/17 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना नांगल जनपद बिजनौर ।
- 14- मु0अ0सं0 251/17 धारा 3/25ए आर्म्स एक्ट थाना मंडावली जनपद बिजनौर ।
- 15- मु0अ0सं0 263/17 धारा 380/411 थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।
- 16- मु0अ0सं0 266/17 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना मंडावली जनपद बिजनौर ।
- 17- मु0अ0सं0 248/17 धारा 380/411/457 थाना मंडावली जनपद बिजनौर ।
- 18- मु0अ0सं0 249/17 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना मंडावली बिजनौर ।
- 19- मु0अ0सं0 425/17 धारा 323/342/504/506 भादवि थाना किरतपुर बिजनौर ।
- 20- मु0अ0सं0 484/17 धारा 380 भादवि थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
- 21- मु0अ0सं0 944/17 धारा 380/411/457 भादवि थाना नजीबाबाद बिजनौर ।
- 22- मु0अ0सं0 50/19 धारा 380 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।
- 23- मु0अ0सं0 53/19 धारा 379 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
- 24- मु0अ0सं0 61/19 धारा 380/457 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
- 25- मु0अ0सं0 66/19 धारा 307/399/402/414 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
- 26- मु0अ0सं0 67/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
- 27- मु0अ0सं0 266/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
- 28- मु0अ0सं0 182/20 धारा 307/323/324/325/34/504/506 थाना किरतपुर बिजनौर ।
- 29- मु0अ0सं0 185/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
- 30- मु0अ0सं0 186/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 31- मु0अ0सं0 216/20 धारा 379/411 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
- 32- मु0अ0सं0 330/20 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
- 33- मु0अ0सं0 351/20 धारा 386 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हल्दौर

दिनांक – 26.03.2025

थाना हल्दौर पुलिस ने मु0अ0सं0 46/2025 धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित 02 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 25.02.2025 को वादी श्री सचिन पुत्र ताराचन्द निवासी ग्राम तिसोतरा थाना नांगल जनपद बिजनौर ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.अरुण कुमार पुत्र ऋषिपाल 2.ऋषिपाल पुत्र होरी सिंह 3.ओमवती पत्नी ऋषिपाल 4.सोमबीर पुत्र ऋषिपाल 5.राहुल पुत्र ऋषिपाल 6.ज्योति पत्नी सोमबीर निवासीगण ग्राम रुकनपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की बहन नूतन को दहेज के लिए प्रताडित किया गया व व दहेज की मांग पूरी न होने पर वादी की बहन की हत्या कर दी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 46/2025 धारा 80(2) / 85 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम अरुण आदि कुल 06 नफर पंजीकृत किया गया था ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 26.03.2025 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.ऋषिपाल पुत्र होरी सिंह व 2.ओमवती पत्नी ऋषिपाल निवासीगण ग्राम रुकनपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.ऋषिपाल पुत्र होरी सिंह निवासी ग्राम रुकनपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 2.ओमवती पत्नी ऋषिपाल निवासी ग्राम रुकनपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री राजपाल सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
2. म0उ0नि0 सपना थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
3. कां0 2385 अंकुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
4. म0कां0 284 अंजलि थाना हल्दौर जनपद बिजनौर



**जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना नजीबाबाद**

दिनांक 26.03.2025

थाना नजीबाबाद पुलिस ने 02 शातिर वाहन चोरो को चोरी की गयी मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 18.03.2025 को वादी राजू पुत्र छोटे निवासी मौ० रमपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल (यूपी 20 बीवी 3411) को चोरी कर ली गयी। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु०अ०सं० 87/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1.सुजल पाल पुत्र सुरेश पाल निवासी ग्राम खेडा अपरौला थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा 2.विशाल पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम रज्जाकपुरा थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा के नाम प्रकाश में आये।



कार्यवाही—

आज दिनांक 26.03.2025 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान थाने के मु०अ०सं० 87/25 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित अभि०गण 1. सुजल पाल पुत्र सुरेश पाल निवासी ग्राम खेडा अपरौला थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा 2.विशाल पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम रज्जाकपुरा थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा को चोरी की गयी मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस (यूपी 20 बीवी 3411) सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता—

- 1.सुजल पाल पुत्र सुरेश पाल निवासी ग्राम खेडा अपरौला थाना नौगावा सादात अमरोहा
- 2.विशाल पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम रज्जाकपुरा थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा

बरामदगी का विवरण—

मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस (यूपी 20 बीवी 3411)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सुजल उपरोक्त—

1— मु0अ0सं0 87 / 25 धारा 303(2) / 317(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विशाल उपरोक्त—

1— मु0अ0सं0 87 / 25 धारा 303(2) / 317(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2— मु0अ0सं0 06 / 25 धारा 309(4) / 317(2) / 336(2) / 352 / 61(2) बीएनएस थाना नौगांवा सादात जनपद अमरोहा।

3— मु0अ0सं0 225 / 24 धारा 115(2) / 191(2) / 351(2) / 352 बीएनएस थाना रजबपुर जनपद अमरोहा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1— उ0नि0 श्री ईलम सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2— उ0नि0 श्री सौरभ सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

3— मुख्य आरक्षी 453 नेत्रपाल राठी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

4— आरक्षी 1159 रोहित कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

5— आरक्षी 1223 रजत राठी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

6— आरक्षी 1943 दीपक पुण्डीर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

7— सर्विलांस सैल टीम जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना कोतवाली शहर **दिनांक 26.03.2025**

**थाना कोतवाली शहर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 252/25 धारा 109(1)/352
बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 24.03.2025 को अभियुक्त गौरव पुत्र हरिराज निवासी जहानाबाद थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने वादी जितेन्द्र कुमार पुत्र ध्यान सिंह निवासी ग्राम जहानाबाद थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर के साथ गाली गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से सिर में दराती से वार करने के संबंध में तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 252/25 धारा 109(1)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही—

आज दिनांक 26.03.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 252/25 धारा 109(1)/352 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त गौरव पुत्र हरिराज निवासी ग्राम जहानाबाद थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त दराती को बरामद किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1. गौरव पुत्र हरिराज निवासी ग्राम जहानाबाद थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण—

घटना में प्रयुक्त एक दराती

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 1— उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
- 2— मुख्य आरक्षी 477 अरविन्द कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
- 3— आरक्षी 1797 संदीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हीमपुर दीपा

दिनांक – 26.03.2025

थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने मु0अ0सं0 35/2025 धारा 103(1),109(1),115(2),309(6),352,351(3) बीएनएस से सम्बंधित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त पेचकस सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 25.03.2025 को वादी सोमप्रकाश सिंह पुत्र मल्लहू निवासी ग्राम खैरपुर उर्फ प्रतापपुर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी कि दिनांक 24.03.2025 को सांय करीब 07.00 बजे अभियुक्तगण 1.अतुल पुत्र राजेश 2.राजू 3.बिट्टू निवासीगण ग्राम सिसौना थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर व एक व्यक्ति नाम व पता अज्ञात द्वारा रजत व शुभम पुत्रगण हरिराज के साथ जान से मारने की नियत से पाठल, पेंचकश व डंडे से मारपीट की गयी तथा बीच बचाव में आए वादी व वादी के भजीते राहुल पुत्र ओमप्रकाश से 25,000 /- रुपये छीनने का प्रयास किया गया तथा राजू ने जान से मारने की नियत से राहुल के सीने में पेंचकस से हमला कर दिया, जिससे राहुल की मौके पर मृत्यु हो गयी तथा शुभम व रजत गंभीर रूप से घायल हो गये व शोर होने पर अभियुक्तगण गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गये । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 35/2025 धारा 103(1),109(1),115(2),309(6),352,351(3) बीएनएस बनाम बनाम अतुल आदि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 26.03.2025 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त राजू पुत्र गजेन्द्र निवासी ग्राम सिसौना थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त पेचकस व मोटर साइकिल पेशन प्रो बिना नम्बर प्लेट सहित गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

नोट – स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्त अतुल पुत्र राजेश निवासी ग्राम सिसौना थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राजू पुत्र गजेन्द्र निवासी ग्राम सिसौना थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त पेचकस व मोटर साइकिल पेशन प्रो बिना नम्बर प्लेट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.थानाध्यक्ष श्री योगेश कुमार थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 महेन्द्र सिंह नागर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
- 3.कां0 2521 सचिन कुमार थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
- 4.कां0 1960 शिव शंकर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 26.03.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की मोटरसाईकिल सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 24.03.2025 को वादी श्री सचिन पुत्र नरेन्द्र घाघट निवासी मौहल्ला कस्साबान-2 निकट थाने के पास कस्बा व थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी की अज्ञात अभियुक्त द्वारा पंचवटी कालोनी से वादी की टीवीएस मोटरसाईकिल नं0 UP20AQ4952 चोरी कर ली । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 0251/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

दिनांक 25.03.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त आदित्य पुत्र संदीप निवासी साईपुरम कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को चोरी की गयी मोटर साईकिल रजि0 नं0 UP20AQ4952 सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आदित्य पुत्र संदीप निवासी साईपुरम कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामद माल का विवरण –

मोटर साईकिल ब्लैक / रैड रंग रजि0 नं0 UP20AQ4952

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 सुरेश पाल सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 ब्राइट फ्लावर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 3.हे0कां0 481 अमित कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 4.कां0 1643 अक्षय कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 5.कां0 2061 संदीप थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना शेरकोट

दिनांक – 26.03.2025

थाना शेरकोट पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की गयी ई-रिक्शा सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 25.03.2025 को वादी श्री जाकिर पुत्र श्री जुल्फिकार अहमद निवासी मौ० हकीमान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर द्वारा थाना शेरकोट पर तहरीर दी कि दिनांक 21.03.2025 की रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वादी की ई-रिक्शा को चोरी कर लिया गया ।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु०अ०सं० 60/2025 धारा 303(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोग में अभियुक्त इमरान पुत्र अल्लादिया निवासी मौ० बन्दुकचियान कस्बा व थाना धामपुर का नाम प्रकाश में आया, जो थाना धामपुर का हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त (नं० 9A) है ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 26.03.2025 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त इमरान पुत्र अल्लादिया निवासी मौ० बन्दुकचियान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर को चोरी की गई ई-रिक्शा सहित गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम व पता –

इमरान पुत्र अल्लादिया निवासी मौ० बन्दुकचियान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

चोरी की गयी ई-रिक्शा (रंग लाल व चैसिस नं० M22YCSPU25C002176)

अभियुक्त इमरान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

- 1.मु०अ०सं० 137/2024 धारा 4/25 शस्त्र अधि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 2.मु०अ०सं० 102/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 3.मु०अ०सं० 112/2019 धारा 380/411 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर

- 4.मु0अ0सं0 117/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 5.मु0अ0सं0 162/2017 धारा 379/411 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 6.मु0अ0सं0 164/2017 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 7.मु0अ0सं0 165/2017 धारा 411/413/414 भादवि व धारा 102/41 सीआरपीसी थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 8.मु0अ0सं0 180/2019 धारा 380/457 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 9.मु0अ0सं0 195/2019 धारा 380/411/457 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 10.मु0अ0सं0 211/2019 धारा 379/411 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 11.मु0अ0सं0 215/2015 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 12.मु0अ0सं0 554/2018 धारा 364 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 13.मु0अ0सं0 60/2025 धारा 303(1)/317(2) बीएनएस थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 2.हे0का0 400 प्रदीप कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 3.का0 1152 सोनू कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 4.का0 993 आकाश धामा थाना शेरकोट जनपद बिजनौर